संचिका संख्या– 14 आपदा 02/2024................/

बिहार सरकार

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग,

(पशुपालन)

प्रेषक,

डॉ0 एन0 विजयालक्ष्मी, भा0प्र0से0

सरकार के अपर मुख्य सचिव,

सेवा में,

प्रधान सचिव,

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग,

बिहार, पटना।

पटना–15, दिनांक–................/................/2025

विषयः– **अकार्यशील कैटल ट्रफ चालू/मरम्मति कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में कहना है कि सुखाड़ की स्थिति में जलाशय में पानी की कमी हो जाने के कारण पशुओं को पेय जल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सहयोग से विभिन्न जिला अंतर्गत चयनित स्थलों पर कैटल ट्रफ का निर्माण कराया गया है। विभागीय संयुक्तादेश ज्ञापांक 1036 (नि0) दिनांक 10.03.2025 द्वारा सभी जिला पशुपालन पदाधिकारी एवं कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को संयुक्त रूप से स्थापित किये गये कैटल ट्रफ का भौतिक सत्यापन/अनुरक्षण के साथ–साथ कार्यशील रखे जाने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिया जा चुका है। जिला स्तर से प्राप्त भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन से ज्ञात हो रहा है कि लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के सहयोग से अबतक विभिन्न जिलों में कुल 270 कैटल ट्रफ स्थापित/निर्मित किया गया है। जिसमें से मात्र 95 कैटल ट्रफ क्रियाशील है, एवं शेष 165 कैटल ट्रफ अक्रियाशील पाया गया है। इस संबंध में प्राप्त प्रतिवेदन से यह भी ज्ञात हुआ है कि दरभंगा जिला में 10 ऐसे कैटल ट्रफ हैं जिसका निर्माण कार्य अभी तक प्रारंभ ही नहीं हुआ है। वर्त्तमान में भीषण गर्मी एवं लू (Heat Wave) को ध्यान में रखते हुये शेष 165 अक्रियाशील कैटल ट्रफ की मरम्मति अविलंब कराये जाने की आवश्यकता है (सूची संलग्न)।

अतः अनुरोध है कि अत्यधिक गर्मी/लू की स्थिति में पशुओं को लू (Heat Wave) से बचाव हेतु पशु पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु अक्रियाशील कैटल ट्रफ में यांत्रिक त्रुटियों/असैनिक त्रुटियों/लघु मरम्मति/वृहत कार्य के निराकरण हेतु संबंधित जिले के कार्यपालक अभियंता, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को निदेश देने का कष्ट किया जाय।

अनु0–यथोक्त।

विश्वासभाजन

ह0/–

सरकार के अपर मुख्य सचिव।

ज्ञापांक :–14 आपदा 02/2024 ..1457 (नि0)..........

पटना–15, दिनांक –..08../..04../2025

प्रतिलिपि :– संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– संबंधित जिला पशुपालन पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– विभागीय आई०टी० मैनेजर को ई–मेल एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

8/4/25

सरकार के अपर मुख्य सचिव।